किसान/सर्वोच्च प्राथमिकता

(8) 11)

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद, उ0 प्र0,
अनुभाग-2, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या-502/2-[illegible]-21 जी/2005, दिनांक 31 मई, 2005

विषयक- राजस्व बकाये की वसूली हेतु कृषकों की जमीन कुर्क/नीलाम किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0 प्र0 शासन के अ0शा0 पत्र संख्या- 1192/1-7-05-79/05, दिनांक 25-5-2005 द्वारा भारतीय किसान यूनियन के सर्वोच्च प्राथमिकता के 07 बिन्दुओं में राजस्व विभाग से सम्बन्धित निम्नांकित उद्धरण के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही कर शासन को विलम्बतम दिनांक 28-5-2005 तक आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

" कृषकों की जमीन वसूली के दौरान कुर्क की जाती है। कुर्क की जाने वाली जमीन की अनुमानित कीमत एवं बकाये धनराशि में समानता होनी चाहिए। अर्थात यदि किसी किसान से 10,000/- का राजस्व/बकाया वसूली होनी है तो उसकी अधिकतम एक एकड़ जमीन कुर्क की जाये। न कि दस एकड़।"

GRA
उप0 ले0

उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया लौटती डाक से उपरोक्त उद्धरण पर अपना मन्तव्य परिषद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी [illegible]
31/6

भवदीय,

(बी0 के0 श्रीवास्तव)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित:-

1- [illegible] उत्तर प्रदेश।
2- [illegible], राजस्व अनुभाग-[illegible], लखनऊ।

(बी0 के0 श्रीवास्तव)
आयुक्त एवं सचिव।